

"आ.क.वि.- 1 सहज	भारतीय आयकर विवरणी [ऐसे व्यष्टिकों के लिए, जो मामूली तौर पर निवासी से भिन्न निवासी हैं, जिनकी वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (व्याज आदि) से और कृषि से पचास लाख रुपए तक आय है] [किसी व्यष्टि के लिए नहीं जो या कंपनी में निवेशक हो और धारा 194 ब के अधीन टी.डी.एस काटा गया हो या असूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स में निवेश किया हो, यदि इएसओपी में आयकर भिन्न है।] (पात्रता के लिए अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	1	-	2

भाग क - साधारण जानकारी																						
स्थायी लेखा संख्या										नाम	जन्म की तारीख	आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आई.डी.डी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)										
											दि	दि	मा	मा	व	व	व	व				
मोबाइल नं०	ई-मेलपता				पता: फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं. परिसर / भवन / ग्राममार्ग / गली / डाकघर क्षेत्र/ अवस्थान नगर/ शहर/ जिला राज्य देश पिनकोड																	
धारा के अधीन फाइल (विहन लगाएं) / कृपया अनुदेश देखें/	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या इससे पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब को माफ करने के पश्चात्				रोजगार की प्रकृति- <input type="checkbox"/> केंद्रीय सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (पारिवारिक पेंशन आदि)																	
या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148																					
यदि पुनरीक्षित / त्रुटियुक्त हो तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन / मास / वर्ष)												/	/									
यदि धारा 139(9)/142(1)/148 या धारा 119(2)(ख) के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है — यूनिक संख्या / दस्तावेज पहचान संख्या (डी.आई.एन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।												/	/									
क्या आप धारा 115 ख क ग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? • हां • नहीं																						
क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]																						
क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)												(यदि हां है तो) रकम (₹)										
क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है												(यदि हां है तो) रकम (₹)										
क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)												(यदि हां है तो) रकम (₹)										

भाग ख- सकल कुल आय													
केवल संपूर्ण रुपए (₹) में													
ख1	i	सकल वेतन (क + ख + ग)										i	
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	क										
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	ख										
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बढ़ते लाभ	ग										
	ii	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए डाउनलोड का उपबंध किया जाना है) / सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है।										ii	
	iii	शुद्ध वेतन (ii - iii)										iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)										iv	
	क	धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती	ivक										
ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख											
ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग											
V	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv)										ख1		
ख2	लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> स्व: अधिभोग <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई												
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य/ किराए योग्य सकल किराए का मूल्य										i	
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप कर	ii										
	iii	वार्षिक मूल्य (i + ii)										iii	
	iv	वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत	iv										
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज	v										
	vi	वकाया/वर्ष के दौरान प्राप्त वसूला न गया किराया घटा 30%	vi										
	vii	गृह संपत्ति शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv - v) + vi										ख2	
ख3	अन्य स्रोतों से आय (डाउनलोडन जैसे बचत खाते, जमा आदि से व्याज ई-फाइलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभांश आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेष्य तिमाही विवरण प्रस्तुत करें)												
	घटा : धारा 57(क) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)										ख3		
ख4	सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3) (यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें) नोट: क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन का लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 2 का प्रयोग करें										ख4		
भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती की सीमा के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें कृपया याद रखें कि 01-04-2020 से 31-07-2020 तक की अवधि के लिए निवेश/जमा/भुगतान के संबंध में कटौती पर दुबारा दावा नहीं किया जा सकता, यदि आकलन वर्ष 20-21 में पहले ही आहरित की गई थी।													

80ग	80गगग	80गगघ(1)	80गगघ(1ब)	80गगघ(2)	80घ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80घघ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80घघघ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80ङ	80ङङ
80ङङङ	80ङङङ	80ङङ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80ङङङ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80ङङङङ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80ङङङग	80ननक	80ननख	80प(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	
कुलकटौतियां				ग1	कुलआय(घ4 -ग1)			ग2	
रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण - यदि कृषि आय 5000/- रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू, फाइल करनी है)					छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें				
भाग घ -संदेय कर की संगणना									
घ 1	कुल आय पर संदेय कर			घ 2	धारा 8 7क के अधीन छूट			घ 3	रिवेट के पश्चात् कर
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर घ3 पर @ 4% उपकर			घ 5	कुल कर और उपकर			घ 6	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया छूट के लिए फार्म 10ङ को भरना सुनिश्चित करें।)
घ 7	धारा 234क के अधीन व्याज			घ 8	धारा 234ख के अधीन व्याज			घ 9	धारा 234ग के अधीन
घ 10	धारा 234च के अधीन फीस			घ 11	कुल कर, फीस और व्याज(घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 - घ6)				
घ 12	कुल संदत्त कर			घ 13	कुल संदेय(घ11 -घ12)(यदिघ11 >घ12)			घ 14	प्रतिदाय(घ12 - घ11)(यदिघ12 >घ11)
भाग ङ-अन्य जानकारी- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं)									
क्रमसं	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम			खाता संख्या			प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन	
I									
1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए।									
2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।									

अनुसूची-आयकर आय- करके अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के व्यौरे									
	बीएसआरकोड			निक्षेप की तारीख(तारीख/मास/वर्ष)			चालानसं.	संदत्तकर	
	(स्तंभ i)			(स्तंभ ii)			(स्तंभ iii)	(स्तंभ iv)	
आर 1									
आर 2									
अनुसूची -स्रोत पर कर कटौती/ स्रोत पर संगृहीत कर के स्रोत पर कर कटौती व्यौरे [कटौतीकर्ता/नियोजक/संदाता/संग्रहकर्ता द्वारा जारी 16 / 16क / 16ग / 27घ]									
	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता का टेन या किराएदार का पेन/ आधार सं.	कटौतीकर्ता / संग्रहकर्ता / किराएदार का नाम	समग्र संदाय / रसीद, जो कर कटौती / संग्रहण के अधीन है			कर कटौती / संग्रहण का वर्ष	कटौती किया गया / संग्रह किया गया कर	(5)में से वर्ष के दौरान दावा किया गया टीडीएस/ टीसीएस	
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)			स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)	
टी1									
टी2									

स्टॉप रसीद सं. प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुद्रा, तारीख और हस्ताक्षर	मैं,पुत्र / पुत्री.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है (कृपया अनुदेश देखें)। तारीख: हस्ताक्षर:
---	---

यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो और व्यौरे नीचे दें :

टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		